

2024/681

फर्द अहकाम (नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
सायरसिंह बनाम विक्रमसिंह

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या | 79 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
28.10.2024	<p>प्रार्थी की तरफ से वकील श्री राजकुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 28.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p> <p style="text-align: center;"> <i>कुलकर्णी प्रशोकन उपास्थित/PU मद्रास</i> <i>पत्रावली</i> <i>दिनांक 28.11.2024</i> <i>पेश है - [Signature]</i> </p>	
04.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने जिजेदन डिफा डि प्रार्थना-पत्र आगे नही चलाना चाहेत है। मी जूदा रिचर में जारीज करवाना चाहेत है। इत प्रार्थना-पत्र मी जूदा रिचर में जारीज डिफा जारा है। पत्रावली नम्बर के क्रम की आकर कए जारीज तकरील जारा दाखिल हुकर हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p>	<p>दावे, चर्चा नडी-चर्चा</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">5/12/2024</p>

